न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बइजलारा अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :–28/2020/प्रार्थना पत्र/बउनवान/ज्ञान चरण बनाम ओम प्रकाश वगै0
जीसीएमएस संख्या 2020/00104

1. ज्ञानचरण पुत्र किशोर जी जाति मीणा निवासी मूण्डला (सरकन्या) तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र
2. भवानी शंकर पुत्र
3. पार्वती बाई पुत्री
4. बनारसी बाई बेवा

गोविन्द लाल पुत्र रामकरण जाति मीणा निवासीगण महुआ की झोपड़िया तहसील मांगरोल जिला बारां

5. चौथरा बाई पुत्री रामकरण पति मांगीलाल जाति मीणा महुआ की झोपडिया तहसील मांगरोल हाल निवासी रकसापुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
6. तस्वीर बाई पुत्री रामकरण पत्नि रामविलास जाति मीणा निवासी महुआ की झोपडिया तहसील मांगरोल जिला बारां हाल निवास ग्राम तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी.एक्ट

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा
वकील अप्रार्थीगण : श्री अजीत कुमार जैन
दायरा दिनांक : 22.09.2020 **निर्णय दिनांक : 24.01.2025**

निर्णय

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि ग्राम बारेदा तहसील मांगरोल जिला बारां की सेटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत् 2044–2063 में खसरा नं0. 79 रकबा 0.82 है0, खसरा नं0. 83 रकबा 2.74 है0, कुल 2 किता 3.56 है0, आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई श्योप्रकाश के खाते दर्ज हो रही है।
2. यह कि इसी प्रकार ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल जिला बारां की सैटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत् 2044–2063 में रामकरण पुत्र कालू जाति मीणा निवासी मूण्डला के खाते 3.45 है0, में दर्ज हो रही है रामकरण जी गोविन्दलाल, अप्रार्थी क्रम 5 व अप्रार्थीया क्रम 6 के पिता तथा 1 ता 3 के दादा व अप्रार्थीया क्रम 4 के ससुर थे।
3. यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

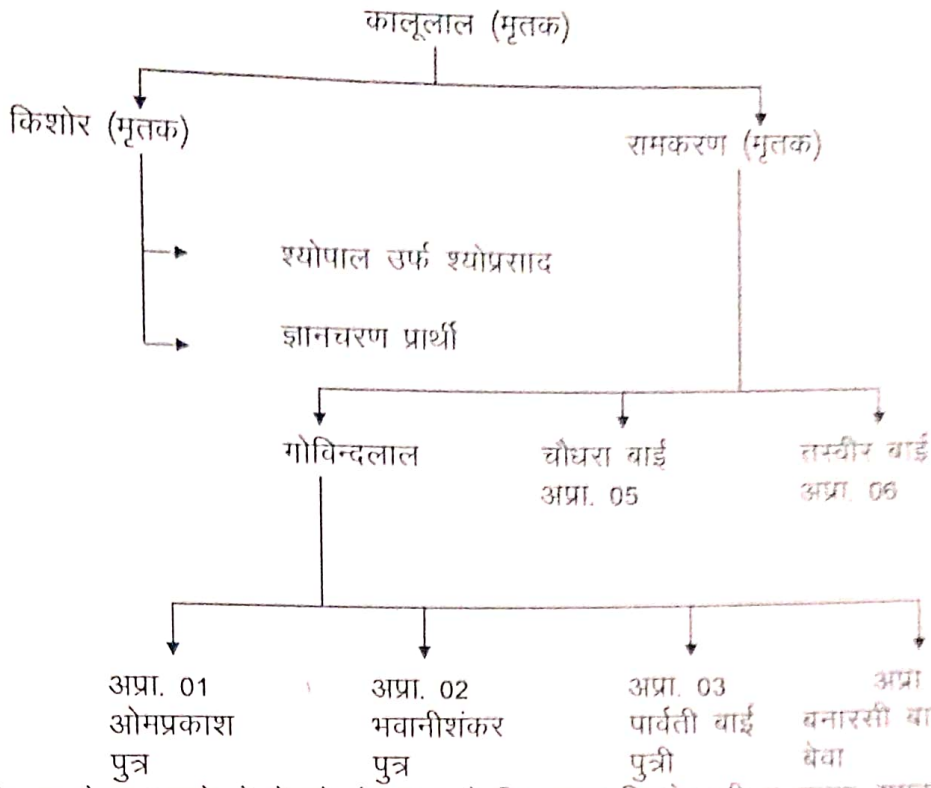

4. यह कि उपरोक्त सजरे से देखने से स्पष्ट है कि मृतक किशोर जी व मृतक रामकरण जी आपस मे सगे भाई थे, किशोर जी की मृत्यु प्रार्थी की नाबालिग अवस्था में ही हो चुकी थी इसलिए प्रार्थी व उसके भाई का बचपन अपने मामा के यहां ग्राम बिसलाई तहसील दीगोद में बीता था।
5. यह कि खाता विभाजन से दोनों भाई किशोर जी व रामकरण के पृथक–पृथक खाते मे आराजी दर्ज की गई, किशोर जी की मृत्यु होने पर उनके पुत्र ज्ञानचरण व शिव प्रकाश के खाते में कुल किता 2 रकबा 3.56 है0, आराजी दर्ज की गई और रामकरण के खाते में कुल कित्ता 2 रकबा 3.45 है0, आराजी दर्ज की गई।
6. यह कि सैटलमेन्ट जमाबंदी ग्राम बोरदा व मिलान क्षेत्रफल खसरा नं0. वाद पत्र के साथ पेश किये जा रहे हैं।
7. यह कि सम्वत् 2075–2078 ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल में खाता सं. नया 44 व पुराना 43 में आराजी खसरा नं0. 78 रकबा 0.81 है0, खसरा नं. 82 रकबा 1.61 है0, खसरा नं0. 82/866 रकबा 0.33 है0, व खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.52 है0, कुल 3.27 है0, आराजी अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते में दर्ज हो रही है जो कि गोविन्द लाल के वारिसान है यहां यह उल्लेखनीय है कि खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.52 है0, आराजी सैटलमेन्ट जमाबंदी सं. 2044–2063 में रामकरण पुत्र कालू के खाते मे दर्ज न होकर प्रार्थी के खाते में दर्ज थी जो कि गलत दर्ज की गई है।
8. यह कि आये दिन लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 व उसके पूर्व गोविन्द लाल से आराजी को लेकर होते रहते थे इसलिए प्रार्थी व उसके भाई श्योपाल ने ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल की आराजी जो कि सैटलमेन्ट जमाबंदी मे दर्ज है खसरा नं0. 79 रकबा 0.82 है0, व खसरा नं. 83 रकबा 2.74 है0, आराजी कुल किता 2 रकबा 3.56 है0, को बेचने का मानस बना लिया, इस वर्णित आराजी में से खसरा नं. 79 रकबा 0.82 है0, आराजी खाता सं. 69 में प्रार्थी के खाते में दर्ज हो रही है तथा खसरा नं0. 83 रकबा 2.74 है0, में से खसरा नं0. 83/830 रकबा 0.18 है0, आराजी प्रार्थी के भाई श्योपाल ने परसराम पुत्र ईश्वरलाल जाति मीणा को रजिस्टर्ड बेचान कर दिया जो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अभी खाता सं. 90 वाके ग्राम बोरदा में परसराम के खाते मे दर्ज है, तथा खसरा नं0. 83 रकबा 2.03 है0, का रजिस्टर्ड बेचान ईशरीलाल पुत्र जगदीश प्रसाद मीणा को करने से आराजी खाता सं. 8 में ईशरीलाल के खाते में दर्ज हो रही है।

9. यह कि खसरा नं0. 83 रकबा 2.74 है0, वाके ग्राम बोरदा की आराजी में से खसरा नं0. 83 रकबा 2.03 का रजिस्टर्ड बेचान हो जाने पर खसरा नं0. 83 बट्टा खसरा नं0. डालते हुए खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.70 है0, आराजी वाके ग्राम बोरदा की अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता गोविन्दलाल के खाते मे दर्ज कर दी गई, यह आराजी राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता के खाते में दर्ज कर दी गई और गोविन्दलाल की मृत्यु के बाद यह आराजी खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.52 है0, खाता सं. 44 में अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के खाते में दर्ज कर दी गई जबकि यह आराजी खसरा नं0. 83 रकबा 2.74 है0, का हिस्सा थी और प्रार्थी व प्रार्थी के भाई श्योपाल उर्फ शिवप्रकाश के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी।

10. यह कि ख. नं. 83 रकबा 2.74 है0, में से प्रार्थी व उसके भाई द्वारा ईशरीलाल को 2.03 है0, आराजी का रजिस्टर्ड बेचान हो जाने पर खसरा नं0. 83 की 0.70 है0, आराजी शेष रही जो इसी खाते में अर्थात प्रार्थी के खाते मे दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने यह खसरा नं0. 83/776 डालकर रकबा 0.70 है0, अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के पिता गोविन्द लाल के खाते में दर्ज कर दी जो कि त्रुटिवश दर्ज कर दी गई।

11. यह कि यह आराजी खसरा नं. 83/776 रकबा 0.70 है0, गोविन्दलाल के दर्ज होने पर विवाद उत्पन्न हुआ तत्पश्चात एक राजीनामा गोविन्दलाल व प्रार्थी तथा उसके भाई शिवप्रकाश के मध्य हुआ, जिसमें गोविन्दलाल ने 0.35 है0, आराजी प्रार्थीगण को देने को तैयार हो गया तथा शेष आराजी 0.35 है0, गोविन्दलाल के खाते में ही रहेगी। समझौतानुसार 0.18 है0, की आराजी तो गोविन्द लाल ने शिवप्रकाश (प्रार्थी के भाई) के खाते बंधा दी और शिवप्रकाश ने परसराम को बेचान कर दी तथा शेष आराजी जो बची (0.35 है0 में से 0.18 का बेचान) 0.17 है0, के लिए दिनांक 09.04.2009 को एक तहरीर गोविन्दलाल ने लिखी कि यह आराजी खसरा नं0. 83 रकबा 0.52 है0, मेरे खाते में बोरदा में रह जायेगी। इसके बदले में गोविन्दलाल खाता सं. 49 ग्राम मूण्डला (छत्रपुरा) की आराजी खसरा नं0. 1013 रकबा 0.22 है0, को ज्ञानचरण (प्रार्थी) के खाते में दर्ज करा देगा। खाता सं. 49 ग्राम मूण्डला की कुल आराजी 0.64 है0, आराजी पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है लेकिन इसी मध्य लगभग 2 वर्ष पूर्व गोविन्दलाल की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नं0. 1013 रकबा 0.22 है0, की रजिस्ट्री नहीं हो सकी।

12. यह कि गोविन्दलाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान समझौते पर कायम नहीं रहे और आराजी खसरा नं0. 1013 रकबा 0.22 है0, आराजी वाके ग्राम मूण्डला को प्रार्थी के खाते नहीं बंधा रहे हैं।

13. यह कि उपरोक्त निवेदन के आधार पर खसरा नं. 83/776 रकबा 0.52 है0, आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल को प्राथी पुनः अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है, यदि अप्रार्थीगण ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं. 1013 रकबा 0.22 है0, की रजिस्ट्री प्रार्थी के पक्ष में करा देते तो प्रार्थी खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.52 है0, से अपनी दावेदारी हटा लेगा, आज भी प्रार्थी अपने वचनों व समझौते पर कायम है, अन्यथा प्रार्थी खसरा नं. 83/776 रकबा 0.52 है0, वाके ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है, क्योंकि यह आराजी खसरा नं0. 83 रकबा 2.74 है0, का हिस्सा थी, जो पहले प्रार्थी के खाते में दर्ज थी।

14. यह कि खाता सं. 49 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में खसरा नं0. 1013 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0. 1014 रकबा 0.09 है0, व खसरा नं0. 863 रकबा 0.33 है0, कुल किता 3 रकबा 0.64 है0, में प्रार्थी व उसकी माता विश्नी बाई का 1/2 हिस्सा होने से 0.32

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

है0. आराजी लेने के अधिकारी है बिशनी बाई की मौत हो चुकी है तथा 0.32 है0. पर अप्रार्थीगण का अधिकार है लेकिन अप्रार्थीगण समझौता तहरीर दिनांक 09.04.2009 के अनुसार ग्राम मूण्डला की कुल आराजी 0.64 है0. पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा ग्राम बोरदा की आराजी खसरा नं0. 83/776 रकबा 0.52 है0. पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है।

15. यह कि ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल की आराजी पर प्रार्थी ने सोयाबीन की फसल बो रखी है जिसे अप्रार्थीगण काटने पर आमादा है।
16. यह कि खाता सं. 49 ग्राम मूण्डला तहसील मागरोल की समस्त आराजी 0.64 है0. पर प्रार्थी का शांति–पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है और खसरा नं 83/776 रकबा 0.52 है0. वाके ग्राम बोरदा की आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है, जबकि ग्राम बोरदा की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी थी।
17. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 गोविन्दलाल की मृत्यु हो जाने के पश्चात से ही दिनांक 07.04.2009 के समझौते की पालना नही करना चाहते हैं और ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल की आराजी कुल 0.64 है0. पर दखलअंदाजी करने लगे है, जिनके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।
18. यह कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 के उपरोक्त कृत्य से प्रार्थी के लिए यह भी आवश्यक हो गया है कि ग्राम बोरदा तहसील मांगरोल के खाता सं. 44 में दर्ज आराजी खसरा नं. 83/776 रकबा 0.52 है0. को अप्रार्थीगण के खाते से खारिज करवाकर प्रार्थी अपने खाते दर्ज करावें।
19. यह कि प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है, प्रार्थी ग्राम मूण्डला तहसील मागरोल की आराजी खसरा नं. 1013 रकबा 0.22 हैक्टयर पर लगभग 15 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करता चला आ रहा है, गोविन्द लाल ने कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त को चुनौती नहीं दी है, लेकिन गोविन्दलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थी नं. 1 ता 4 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने लगे हैं, बलपूर्वक सोयाबीन की फसल काटने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे हैं कि हम सोयाबीन की फसल काटकर ही रहेंगे।
20. यह कि सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, यदि फसल सोयाबीन अप्रार्थीगण द्वारा काट ली गई तो प्रार्थी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो जावेगी प्रार्थी ने सोयाबीन की फसल बोई है अभी आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी नं. 1 ता 4 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्याय संगत होगा, जिससे शांति कायम रह सके।
21. यह कि शेष सुसंगत तथ्य दौराने बहस मौखिक निवेदन कर दिये जावेंगे।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी नं. 1 ता 6 के विरुद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी जिसमें सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है, किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें, प्रार्थी को काश्त करने देवें। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सोयाबीन की फसल को नहीं काटें।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने का प्रकरण दिनांक 22.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 1 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकार्ड का मामला है लेकिन ग्राम बोरदा में स्थित भूमियाँ नामान्तकरण नं. 206 से खसरा नं. 69 की 0.82 है0, खसरा नं. 83/02.74 है0, कुल किता 02 कुल रकबा 03.55 है0, में से उप जिला कलेक्टर महोदय, मांगरोल के निर्णय दिनांक 21.01.2004 को प्रकरण संख्या 20/97 रामकरण बनाम् श्योपाल, ज्ञानचरण वगैराह की डिक्री में खसरा नं. 83 की 02.74 है0,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

में से बटा नंबर डालते हुये 83/776 की 0.70 है0. भूमि उत्तरी तरफ की अप्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है क्योंकि रामकरण की मृत्यु हो चुकी है और रामकरण के पिता गोविन्द लाल की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिए उपरोक्त भूमियाँ अप्रार्थीगण नं. 1 ता 4 तथा 5 ता 6 रामकरण की पुत्रियां के नाम दर्ज हुई है।

2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 02 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 03 में जो सजरा दर्शाया है उसके मुताबिक कालू रामन के दो पुत्र किशोर व रामकरण होने से 1/2–1/2 हिस्सा बनता है उसी के मुताबिक उक्त भूमियाँ दर्ज हुई है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 04 में रामकरण व किशोर सगे भाई होना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 05 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 06 में राजस्व रेकार्ड के जो भी दस्तावेज पेश किये है वह जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 07 अस्वीकार है और कथन है कि जो खसरा नं. 83/776 की 0.52 हैक्टयर जो दर्ज हुई है वह पूर्व में श्योपाल के खाते में दर्ज थी इसलिए न्यायालय के निर्णय के बाद उपरोक्त भूमियां खसरा नं. 83/02.74 हैक्टयर में से 0.70 हैक्टयर उत्तरी तरफ की 83/776 की 0.70 हैक्टयर भूमिया अप्रार्थी के दादा रामकरण के नाम दर्ज हुई है जो भूमियां बाद में बटा नंबर डालते हुये 83/776 की नामान्तकरण संख्या 301 से 20.12.2007 को जरिये हकत्याग गोविन्द लाल प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई जो जमाबंदी 2063–66 में दर्ज है उसके उपरांत उक्त भूमियो में से 0.18 हैक्टयर ग्राम बोरदा की उपरोक्त भूमिया श्योपाल पुत्र शिवप्रकाश के नाम खसरा नं. 83/776 की दर्ज हुई। उक्त 0.18 हैक्टयर भूमियां बाद में जरिये बेचान नामान्तकरण नं. 337 से क्रेता परसराम पुत्र जगदीश मीना को प्रार्थी के भाई शिवप्रकाश ने नामान्तकरण नं. 337 से 20.06.2009 को को 0.18 हैक्टयर भूमि परसराम पुत्र जगदीश चंद मीना को बेचे दी इस प्रकार न्यायालय के आदेश के बाद खसरा नं. 83/776 की 0.52 हेक्टयर भूमियां है, वह न्यायालय के आदेश से दर्ज हुई हैं न कि सैटलमेंट के आदेश से इसलिए उक्त न्यायालय के आदेश से खुद प्रार्थी भी पक्षकार था जिसकी अपील चाहता तो प्रार्थी कर सकता था लेकिन अब किसी भी प्रकार से उक्त भूमिया प्रार्थी लेने अधिकारी नहीं है इसलिए यह कहना की सैटलमेंट ने उक्त भूमियां दर्ज की है जो कि गलत व असत्य है।
8. यह कि प्रार्थना–पत्र ही मद नं. 8 अस्वीकार है और कथन है कि शेष भूमियाँ स्वयं प्रार्थी ने बेचान की है।
9. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 09 अस्वीकार है और कथन है कि गोविन्द लाल के खाते की खसरा नं. 83/776 की 0.70 हैक्टयर भूमियां न्यायालय के आदेश से दर्ज हुई हैं और खसरा नं. 83/776 की 0.52 हैक्टयर भूमि जो शेष बची है वह न्यायालय आदेश के बाद अप्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज रही है।
10. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 10 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थी व उसके भाई ने जो भूमियां बेचान की है उसका अप्रार्थीगण से कोई वास्ता नहीं है और कथन है कि खसरा नं. 83/776 की भूमि 0.70 हैक्टयर अप्रार्थी के दादा रामकरण की मृत्यु उपरांत प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई थी जिसमें स्वयं प्रार्थी 0.18 हैक्टर भूमि परसराम को बेचान कर चुका है और शेष ईश्वर लाल को बेचान कर चुका है।
11. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 11 अस्वीकार है।
12. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 12 अस्वीकार है।
13. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 13 अस्वीकार है और कथन है कि खसरा नं. 83/776 की 0.52 हैक्टयर पर अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

14. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 14 अस्वीकार है।
15. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 15 अस्वीकार है।
16. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 16 अस्वीकार है और कथन है कि ग्राम मूण्डला की भूमियां जो खसरा नं. 1013/0.22, 1014/0.09 863/0.33 पर प्रतिवादी का कब्जा है जिसमें बिशनी बाई पत्नी किशोर हिस्सा 1/2 = 0.64 हैक्टयर में से प्रार्थीगण का हक व हिस्सा होने से अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है।
17. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 17 अस्वीकार है।
18. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 18 अस्वीकार है।
19. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 19 अस्वीकार है और कथन है कि प्रार्थीगण का प्राईमाफेशी केस है तथा उपरोक्त भूमियां ग्राम मूण्डला में अप्रार्थीगण के कब्जे में है जबरन प्रार्थी उक्त भूमियां हथियाना चाहता है।
20. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 20 अस्वीकार है और कथन है कि सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि उक्त भूमियों में अप्रार्थीगण का हिस्सा राजस्व 1/2–1/2 दर्ज है। इसलिए तुलनात्मक क्षति अप्रार्थीगण को होगी इसलिए प्रार्थी को पाबंद किया जाना आवश्यक है।
21. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 21 अस्वीकार है।
22. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद नं. 22 कानूनी है।

प्रार्थना–प्रार्थी अ एवं ब अस्वीकार है।

विशेष कथन :–

1. यह कि प्रार्थी ने तथ्यों को छुपाकर न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि ग्राम बोरदा में स्थित भूमियां खसरा नं. 691 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नं. 83/2.34 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 03.56 हैक्टयर में से 0.70 हैक्टयर भूमियां न्यायालय के आदेश दिनाक 21.01.2004 को बउनवान रामकरण बनाम् श्योपाल, ज्ञानचरण वगैराह के खसरा नं. 83/02.74 हैक्टयर में से 0.70 हैक्टयर उत्तरी तरफ की बटा नंबर डालकर प्रार्थीगण के दादा रामकरण के दर्ज हुई उक्त भूमियों में से 0.70 हैक्टयर में से प्रार्थीगण के दादा रामकरण द्वारा 0.18 हैक्टयर भूमियां जरिये बेचान खसरा नं. 23/776 का 0.48 हैक्टयर भूमियां प्रार्थी को बेचान की गई तो नामान्तकरण नं. 329 से प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी की उक्त भूमि 0.18 हैक्टयर परसराम पुत्र जगदीशचन्द मीणा को बेचान की जो नामान्तकरण नं. 337 को परसराम के नाम दर्ज हुई तथा शेष भूमियां जो शेष वह भूमियां 02.03 हैक्टयर स्वयं प्रार्थी व खसरा नं. 83 की रजि0 बेचान ईश्वर लाल पुत्र जगदीश मीना को बेचान की जो स्वयं वादी ने मद नं. 08 में दर्ज की है इस प्रकार प्रार्थी का यह कहना कि सैटलमेंट के द्वारा ग्राम बोरदा की भूमियां कम दर्ज हुई है जो गलत व असत्य कथन है और गलत व असत्य कथन पर प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो कि तथ्यों को छिपाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि कथन है कि जो भूमियां खसरा नं. 83/776 की 0.52 हैक्टयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। वह न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय, मांगरोल के निर्णय व डिक्री से दर्ज हुई है इसलिए इस न्यायालय को उक्त फैसलों के खिलाफ उक्त भूमिया प्रार्थी के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के निर्णय के तथ्यों को प्रार्थी ने छिपाया है इसलिए प्रार्थना–पत्र विधि विरुद्ध होने से आदेश 07 नियम 11 के तहत् खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह कि ग्राम मूण्डला में स्थित भूमिया वर्तमान जमाबंदी में 1013 की 0.22 हैक्टयर तथा 1014 की 0.09 हैक्टयर, 863 की 0.33 हैक्टयर में से कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 हैक्टयर में से प्रार्थीगण का हिस्सा मुताबिक अप्रार्थीगण का काबिज काश्त है क्योंकि कुल किता 03 कुल रकबा 0.64 हैक्टयर में अप्रार्थीगण का खसरा नं. 1013 की 0.22 हैक्टयर, खसरा नं. 1014 की 0.09 हैक्टयर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से व कब्जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

अप्रार्थीगण का होने बाबत् पृथक से परिवाद व अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थना चाही है वह गलत व असत्य होने से खारिज किये जाने योग्य है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र विशेष खर्चा सहित खारिज फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील पक्षकारान द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया जो उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना में वर्णित किये गये हैं। प्रस्तुत पत्रावली में शामिल राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र का निर्धारित करने के लिए न्यायालय को निम्न बिन्दुओ को देखना होता है।

01. प्रथम दृष्टया मामला 02. अपूर्णनीय क्षति 03. सुविधा का संतुलन

1. **प्रथम दृष्टया मामला** : प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नं. 1013 रकबा 0.22 हैक्टयर पर खडी सोयाबीन की फसल पर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी न करें, प्रार्थी को काश्त करने देवें एवं अप्रार्थीगण, प्रार्थी की सोयाबीन की फसल को नहीं काटें हेतु अप्रार्थी नं. 1 ता 6 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि ग्राम बोरदा में स्थित भूमियां खसरा नं. 691 रकबा 0.82 हैक्टयर, खसरा नं. 83/2.34 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 03.56 हैक्टयर में से 0.70 हैक्टयर भूमियां न्यायालय के आदेश दिनाक 21.01.2004 को बउनवान रामकरण बनाम् श्योपाल, ज्ञानचरण वगैराह के खसरा नं. 83/02.74 हैक्टयर में से 0.70 हैक्टयर उत्तरी तरफ की बटा नंबर डालकर प्रार्थीगण के दादा रामकरण के दर्ज हुई उक्त भूमियों में से 0.70 हैक्टयर में से प्रार्थीगण के दादा रामकरण द्वारा 0.18 हैक्टयर भूमियां जरिये बेचान खसरा नं. 23/776 का 0.48 हैक्टयर भूमियां प्रार्थी को बेचान की गई तो नामान्तकरण नं. 329 से प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी की उक्त भूमि 0.18 हैक्टयर परसराम पुत्र जगदीशचन्द मीणा को बेचान की जो नामान्तकरण नं. 337 को परसराम के नाम दर्ज हुई तथा शेष भूमियां जो शेष वह भूमियां 02.03 हैक्टयर स्वयं प्रार्थी व खसरा नं. 83 की रजि0 बेचान ईश्वर लाल पुत्र जगदीश मीना को बेचान की जो स्वयं वादी ने मद नं. 08 में दर्ज की है इस प्रकार प्रार्थी का यह कहना कि सैटलमेंट के द्वारा ग्राम बोरदा की भूमियां कम दर्ज हुई है जो गलत व असत्य कथन है जो भूमियां खसरा नं. 83/776 की 0.52 हैक्टयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई है। वह न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय, मांगरोल के निर्णय व डिक्री से दर्ज हुई हैं। इसलिए इस न्यायालय को उक्त फैसले के खिलाफ उक्त भूमियां प्रार्थी के नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।
2. **अपूर्णनीय क्षति** : चूंकि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी जिस पर सोयाबीन की फसल खडी हुई है, पर रिकार्डेड सह खातेदार है। यदि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के हिस्से की आराजी पर अवैध कब्जा किया जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

3. **सुविधा का संतुलन** : चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिंदु अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

अतः प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, बहस वकील पक्षकारान, संलग्न दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक तीनों बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल वाद हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांक 24.01.2025 को सुनाया गया।

अंजना [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल